फरसदान बनाम भंवरदान

30.8.19

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों को सुना गया।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही ग्राम दासौड़ी में 461 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर 40 वर्ष पुरानी जमाबन्दी संवत् 2028–2030 के आधार पर बंटवारें के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि का बेचान भी किया जा चुका है। उक्त बेचान किस हिस्से का किया गया है यह तथ्य भी आदेश जैर अपील में निर्धारित नहीं किया गया है। इसी प्रकार आदेश जैर अपील में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विभाजन से संबंधित प्रावधान अर्थात नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में जब तक वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिकार्ड का अपडेशन नहीं किया जाता, विभाजन की डिक्री पारित किया जाना व उसकी पालना में खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा इससे किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार की कोई कानूनी राहत प्राप्त नहीं होगी वरन् प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न होगी। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर पुनः विधि सम्मत तरीके से व विभाजन के प्रावधानों की पालना करते हुए निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की इस्तदुआ अपील के माध्यम से की गई है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगणों को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत मामलें में दोनो पक्ष इस तथ्य से सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री में रिकार्ड की अपडेट स्थिति नहीं दशाई गई है जिसके कारण सहखातेदारों के हिस्से की स्थिति प्रारम्भिक डिक्री में स्पष्ट नहीं है। अतः रिकार्ड अपडेट किया जाकर नये सिरे से प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे तथा अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 20 व 21 के प्रावधानों के तहत मौके पर हिस्से व कब्जे के अनुसार नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव मंगवायें जावे। परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री तथा प्राप्त विभाजन प्रस्तावों से उक्त स्थिति की पुष्टि होती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—03—2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड को अपडेट किये जाने के उपरान्त सहखातेदारों के हिस्सों के मुताबिक विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री नये सिरे से जारी की जावे। तत्पश्चात् पक्षकारों की मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव तैयार किये जावे। उक्त प्रस्तावों पर पक्षकारों की आपत्तियॉ सुनी जाकर विधि सम्मत ढंग से अंतिम डिक्री जारी की जावे। समस्त पक्षकार दिनांक 03—10—2019 को उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(राजनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner